FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

.....कमलू.....बनाम.....सुनिता.....

किस्म मुकदमा.....225.....नं0 .....सन्.....2018.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25.06.18	अभिभाषक अपीलाण्ट ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना की। सुना गया। हमने गौर किया। यह अपील मियाद बाहर है एवं अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पक्षकार भी नहीं था। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 भी प्रस्तुत किया गया है। दौराने बहस पूछा गया कि अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में पक्षकार बनने हेतु अपीलाण्ट ने कोई प्रयास किया है ? अपीलाण्ट की ओर से कहा गया कि अभी तक अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में पक्षकार बनने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर पारित आदेश को चुनौती दी गई है। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत किसी वाद या कार्यवाही में ही संधारणीय है; स्वतन्त्र रूप से प्रार्थना पत्र 212 संधारणीय नहीं है। जब अपीलाण्ट मूल वाद में पक्षकार नहीं हैं तो वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में पक्षकार नहीं जुड सकता है और ना ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पारित किसी आदेश को चुनौती देने के लिए ही सक्षम है। वर्तमान अवस्था में यह अपील संधारणीय नहीं होने के कारण ग्राह्यता स्तर पर ही खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें, तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार वार्ष्णेय) भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official